

ADVISORY REGARDING ANTI-RAGGING

Kind Attention: All 2nd, 3rd & 4th Year UG Students

As the new batch of first-year students has joined the Institute, all senior students are advised to maintain a **safe, respectful and welcoming environment** on campus.

Ragging in any form is strictly prohibited as per the UGC Regulations and Institute rules. Any act of physical, verbal, psychological or online harassment, intimidation, humiliation or misconduct towards junior students will be viewed as a **serious disciplinary offence** and may invite strict action under the applicable UGC Regulations and the Institute's Students Advisory Committee of Senate (SACS) provisions.

Senior students are expected to **guide, support and mentor** the newcomers and help them adjust to campus life. They should **not intimidate, harass or subject them to any activity that may amount to ragging**.

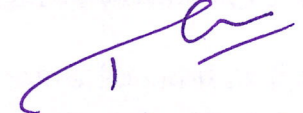
Students are advised to familiarise themselves with the applicable UGC Anti-Ragging Regulations and advisories:

1. <https://www.antiragging.in/assets/pdf/advisory/strict-implementation-of-ugc-regulations-on-curbing-the-menace.pdf>
2. <https://www.antiragging.in/assets/pdf/advisory/circular-for-anti-ragging-regulations-2009.pdf>

Let us collectively ensure a **safe, inclusive and supportive campus environment** where every student feels respected and comfortable.

For assistance or to report any incident, students may contact the **Anti-Ragging Committee**. Contact details of the Committee members are available on the Institute website.

All students are advised to strictly comply with the above.


Dr Mukesh Kumar Roy
FIC (Students Affairs)

Copy to:

1. Director Sir---For kind information, please
2. Members of Anti Ragging Committee (ARC)
3. PIC & APIC (Academic)/ Chief Warden / Registrar
4. DR (Students)/AR (Academic)
5. Website in-charge

रैगिंग के संबंध में एडवाइजरी

ध्यानार्थ: सभी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के यूजी छात्र-छात्राएँ

संस्थान में प्रथम वर्ष के नए छात्र-छात्राओं के आगमन के अवसर पर सभी सीनियर छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।

यूजीसी विनियमों एवं संस्थान के नियमों के अनुसार रैगिंग किसी भी रूप में पूर्णतः प्रतिबंधित है। जूनियर छात्र-छात्राओं के प्रति शारीरिक, मौखिक, मानसिक अथवा ऑनलाइन किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, भयभीत करना, अपमानित करना या अनुचित व्यवहार गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा लागू यूजीसी विनियमों एवं संस्थान की Students Advisory Committee of Senate (SACS) के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सीनियर छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नवागंतुक छात्र-छात्राओं को मार्गदर्शन, सहयोग एवं मेंटरिंग प्रदान करें तथा उन्हें संस्थान के वातावरण एवं परिसर जीवन के साथ सहजता से समायोजित होने में सहायता करें। किसी भी स्थिति में उन्हें भयभीत, प्रताड़ित अथवा ऐसी किसी गतिविधि में सम्मिलित न किया जाए, जो रैगिंग की श्रेणी में आती हो।

सभी छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे लागू यूजीसी एंटी-रैगिंग विनियमों एवं परामर्शों (advisories) से भली-भाँति परिचित हों:

- 1) <https://www.antiragging.in/assets/pdf/advisory/strict-implementation-of-ugc-regulations-on-curbng-the-menace.pdf>
- 2) <https://www.antiragging.in/assets/pdf/advisory/circular-for-anti-ragging-regulations-2009.pdf>

आइए, हम सभी मिलकर परिसर में ऐसा सुरक्षित, समावेशी एवं सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करें, जहाँ प्रत्येक छात्र-छात्रा स्वयं को सम्मानित एवं सहज महसूस करें।

किसी भी प्रकार की सहायता अथवा घटना की रिपोर्ट करने के लिए छात्र-छात्राएँ एंटी-रैगिंग समिति (Anti-Ragging Committee) से संपर्क कर सकते हैं। समिति के सदस्यों का संपर्क विवरण संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सभी छात्र-छात्राओं को उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है।

डॉ. मुकेश कुमार रॉय
एफआईसी (छात्र मामले)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय — सादर सूचनार्थ
2. एंटी-रैगिंग समिति (ARC) के सदस्य
3. PIC एवं APIC (शैक्षणिक) / मुख्य वार्डन / कुलसचिव
4. उपकुलसचिव (छात्र) / सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
5. वेबसाइट प्रभारी